Email: purchase.cswri@icar.gov.in
दूरभाष : 01437–220177 फैक्स नं. 91–01437–220163
भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान
अविकानगर, तह0 मालपुरा, जिला–टोंक (राजस्थान) – 304501
ICAR-Central Sheep & Wool Research Institute
Avikanagar, Teh.Malpura, Dist.Tonk (Rajasthan) – 304501

क्रमांक: 6(39)एसपी / 96 / दिनांक : 30.06.2022

निमित्त,

श्री सुरेश कुमार धोबी पुत्र श्री शंकर लाल धोबी,
जवाहर नगर, मालपुरा
जिला टोंक (राजस्थान) 304502

विषय : संस्थान के सरकारी कपड़े धोने से संबंधित कार्य को वार्षिक अनुबन्ध / जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके द्वारा प्रस्तुत कोटेशन दिनांक 04.06.2022 में प्रस्तुत दरों को सक्षम अधिकारी महोदय ने स्वीकार कर लिया है। अतः निम्नलिखित दरों, नियम व शर्तो के आधार पर आपको कार्यादेश जारी किया जाता है–

क्र.सं.	कार्य विवरण	दर प्रति नग सभी करों एवं खर्चो सहित (अंको व शब्दों में)
1.	पलंग की निवार	₹20/- (बीस रूपये)
2.	पलंग की दरी	₹30/- (तीस रूपये)
3.	तौलिया (छोटा)	₹15/- (पन्द्रह रूप्ये)
4.	तौलिया (बडा)	₹25/- (पचीस रूप्ये)
4.	डस्टर	₹5/- (पांच रूपये)
5.	तकिये की खोली	₹15/- (पन्द्रह रूपये)
6.	सूती पर्दा	₹40/- (चालीस रूपये)
7.	गर्म पर्दा	₹30/- (तीस रूपये)
8.	सोफा सेट (दो कुर्सी एक सीटर एवं तीन सीटर	₹200/- (दोसो रूपये)
10.	बस / कार / बौलेरो / युटीलिटी की सीट कवर (प्रति सीट) की सीट कवर	₹30/- (तीस रूपये)
11.	रजाई कवर	₹30/- (तीस रूपये)
12.	कमरों की दरी	₹30/- (तीस रूपये)
13.	डांगरी	₹40/- (चालीस रूपये)
14.	प्रयोगशाला एप्रीन	₹30/- (तीस रूपये)
15.	डबल बेडशीट	₹40/- (चालीस रूपये)
16.	सिंगल बेडशीट / चादर	₹30/- (तीस रूपये)
17.	कुर्सी सीट कवर (सीट और बैक)	₹40/- (चालीस रूपये)
18.	कम्बल	₹160/- (एक सो साठ रूपये)
19.	कपडे के झन्डे	₹20/- (बीस रूपये)

नियम व शर्ते :–

1. अनुबन्ध की अवधि दिनांक 01.07.2022 से दिनांक 30.06.2023 तक रहेगी, जिसे संतोषप्रद कार्य होने पर सक्षम अधिकारी चाहे तो कम या अनुबंधकर्ता की आपसी सहमति से वर्तमान दर व नियम शर्तो पर एक वर्ष या अधिक तक बढाया जा सकता है ।
2. अनुबन्धकर्ता को प्रत्येक सप्ताह संस्थान के सभी विभागों / अनुभागों / प्रयोगशालाओं / पी.जी.हॉस्टल / अतिथि गृह / किसान घर आदि से धोने के लिये कपड़े लाने होंगे तथा सप्ताह में धोकर वापस संबंधित विभागों / अनुभागो को लोटाना होगा। साथ ही प्राप्त कपड़ों मे से यदि कोई कपड़ा खो जाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी तथा उसकी जो भी कीमत होगी उसे 15 दिन के भीतर–भीतर कार्यालय में जमा करवाना होगा अन्यथा देय बिल से उस राशि की कटौती करली जावेगी।

कटौतिया :–

3. ठेकेदार / प्रतिनिधि द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार में शिथिलता / गैर जिम्मेदारी / अवज्ञा की गई तो ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बिल में से राशि की कटौती की जावेगी साथ ही, अनुबंध को निरस्त करते हुये अमानत / जमानत राशि जब्त की जा सकती है ।

4. ठेकेदार/प्रतिनिधि द्वारा अनुबन्ध की अवधि में संस्थान में किसी प्रकार की चौरी/क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी वसूली स्वयं ठेकेदार को नकद करनी होगी अन्यथा उनके देये बिल से काट ली जावेगी और अनुबन्ध निरस्त कर अमानत व जमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।इस संबंध में संस्थान के निदेशक महोदय का निर्णय ही अन्तिम होगा। एवं ठेकेदार को मान्य होगा।
5. कार्य निर्देशानुसार समय पर पुर्ण नही होने की दशा में ठेकेदार की जमा जमानत राशि को जब्त करते हुये अनुबंध को निरस्त कर दिया जायेगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वंय ठेकेदार की होगी।
6. ठेकेदार एवं उसके प्रतिनिधि को संस्थान के अधिकारी/कर्मचारियों के साथ शिष्टता का व्यवहार रखना होगा। अन्यथा ठेका समयावधि से पूर्व भी समाप्त /निरस्त किया जा सकता है ।

अनुबंध की सामान्य नियम व शर्ते :–

7. अनुबंध कार्य में लगने वाले श्रमिकों की आयु 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।वे पूर्णरूपेण स्वस्थ होने चाहिये।
8. कार्य के बिल तीन प्रतियों में पूर्व प्राप्ति रसीद के साथ प्रस्तुत करने पर निश्चित समय अवधि 30–45 दिन में किया जावेगा।
9. संबंधित वित्तीय वर्ष में या समय–समय पर होने वाले संशोधन के अनुसार ठेकेदार के देय मासिक बिल में से नियमानुसार आयकर एवं उस पर लगने वाले सरचार्जेज राशि की भी कटौती की जावेगी।
10. ठेकेदार को अनुबन्घ की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय–2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। यदि भुगतान से सम्बन्धित किसी भी श्रमिक द्वारा कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी भी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।
11. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय–पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटो युक्त परिचय–पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर वाहन अनुभाग में प्रस्तुत करना होगा। परिचय–पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो (पहचान–पत्र) आवश्यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।
12. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति राशि नही दी जावेगी।
13. इस अनुबंध में जीएफआर 2017 में उपलब्ध नियम एवं भारत सरकार के इस अनुबंध के संबंधित नियम भी लागू होगें।
14. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान को होगा। जिसे ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा मान्य होगा।
15. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कान्ट्रेक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
16. संस्थान कें सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय जारी अनुबन्ध ओदश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

Digitally Signed by Sanjay Sharma
भवदीय,
Date: 01-07-2022 09:47:25
Reason: Approved

(संजय शर्मा)
सहायक प्रशासनिक अधिकारी

वितरण : –

1. केश एण्ड बिल सेक्सन
2. वित्त एवं लेखा अनुभाग
3. भण्डार अनुभाग
4. सभी विभागो/अनुभागो को सूचनार्थ प्रस्तुत है।